संख्या- 45 /2022 / 243 /चार-2022-110 (विविध)/ 2017

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1272/उ0प्र0सं0नि0-5(49)/2017-18-।। दिनांक 17 फरवरी, 2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2260/चार-2019-110 (वि0)/ 2017 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय के निर्माण हेतु रू0 1974.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय के निर्माण हेतु रू0 2478.93 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 182.85 लाख (रूपये एक करोड़ बयासी लाख पिचासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-63/2019/607/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 10 मार्च, 2019 शासनादेश संख्या-86/2019/780/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 25 मार्च, 2019, शासनादेश संख्या-2260/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019, शासनादेश संख्या-73/2020/611/चार-2020-110(वि0)/2017 दिनांक 17 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-58/2021/654/चार-2021-110(वि0) / 2017 दिनांक 15 मार्च, 2021 तथा शासनादेश संख्या-150/2021/1608/चार-2021-110(वि0)/2017 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग/ कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-10- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 45 /2022 / 243 (1) /चार-2022-110 (विविध)/ 2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- परियोजना प्रबंधक, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-34, बस्ती।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in